21/6/15

पत्रावली पेश हुई वकील उपपक्ष उपस्थित प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 स्वीकार किया गया। निर्णय इस प्रकार है:-

प्रार्थी द्वारा पेश प्रा० पत्र, जमाबन्दी व गिरदावरी से ताईद है कि प्रार्थिया खसरा संख्या 2361/1435 में 25/599 भाग की खातेदार है व भूमि पर फसल काश्त की है। धारा 212 राज. का. अधि. 1955 के तीनों बिन्दुओं का विवेचन:

(1) प्रथम दृष्ट्या प्रकरण: प्रार्थिया रिकार्ड खातेदार है। रजिस्टर्ड बेचान से खरीद कर खसरा नं. 2361/1435 की सहखातेदार बनी है। यदि कब्जे काश्त में दखल हुआ तो प्रार्थिया को हानि होगी। उक्त बिन्दु प्रार्थिया के पक्ष में है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.18 13:07:48 IST
Reason: SelfAttested

② सुविधा का सन्तुलन : रजिस्टर्ड विक्रयनामा से जाहिर है कि ~~सिंह~~ सन् 2016 व 2018 से प्रार्थिया सहस्वामी खातेदार है। अप्रार्थीगण द्वारा 08/04/2016 के सहमति प्रलेख के आधार पर विक्रय पत्र की विधिमान्यता को चुनौती दी है जो कि विधिरूप से त्रुटिपूर्ण है। रिकॉर्ड खातेदार के कब्जे कारण से दखलअंदाजी से खातेदार को असुविधा होगी। बिन्दु प्रार्थिया के पक्ष में है।

③ अपूरणीय क्षति : अप्रार्थीगण का विवादित आराजी 2361/1435 से कोई सरोकार वर्तमान में नहीं है जबकि प्रार्थिया भूमि की सहखातेदार है। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थिया के पक्ष में है। उपर्युक्त बिन्दुओं के विवेचन के बाद प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 रा॰का॰अधि॰1955 स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगणों को मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थिया के कब्जे काश्त में दखल ना करें। पत्रावली फैसल शुमार दाखिल रिकार्ड हो।

उपखण्ड अधिकारी
अराँई (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.12.18 13:07:48 IST
Reason: SelfAttested